राजस्थान सरकार

।। कार्यालय जिला कलक्टर जैसलमेर ।।

(अपीलीय प्राधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

अपील संख्या 02/2017

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
[illegible] श्री केशराराम निवासी पोस्ट [illegible]।		तहसीलदार जैसलमेर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

:: निर्णय :: दिनांक : 31 जनवरी, 2017

[illegible] ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि प्रत्यर्थी ने उसके आवेदन दिनांक 28 सितम्बर, 2016 के द्वारा [illegible] गई सूचनाएं उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

[illegible] की अपील दर्ज की जाकर प्रत्यर्थी को इस आशय का नोटिस जारी किया गया कि आप द्वारा अपीलार्थी को [illegible] अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में किन कारण से उसके द्वारा वांछित सूचनाएं [illegible] नहीं करवाई गई है इसका कारण स्पष्ट करें एवं क्यों न इस अपील को स्वीकार करते हुए सूचना के अधिकार [illegible]नियम, 2005 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए इस अपील का निस्तारण किया जावें। अपीलार्थी को भी सूचित किया [illegible] कि प्रत्यर्थी द्वारा आपको वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के संबंध में आप यदि कोई तथ्य प्रस्तुत करना [illegible] तो प्रस्तुत करें।

[illegible] अनुपस्थित। प्रत्यर्थी ने अपना लिखित कथन प्रस्तुत किया। जिसमें यह उल्लेख किया गया कि अपीलार्थी [illegible] चाही गई सूचना दिनांक 24 जनवरी, 2017 को डाक से प्रदत्त कर दी गई है। इस आलोक में अपील में कोई [illegible] किया जाना शेष नहीं है एवं अपील पत्रावलित किये जाने योग्य है।

[illegible] तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपील अस्वीकार कर निस्तारित की जाती है।

[illegible] एवं मोहर लगाकर आज दिनांक 31 जनवरी, 2017 को निर्णय किया गया।

[illegible] उभय पक्ष को प्रेषित की जावें।

(मातादीन शर्मा)
जिला कलक्टर
जैसलमेर